न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील संख्या 53/2016

अनवान

श्यामसुन्दर पुत्र श्री धीरजमल जाति ब्राहम्ण, नि0पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार द्वारा तहसीलदार पुष्कर जिला अजमेर

..... रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :— 1. श्री मदनलाल गुर्जर, श्री भारत गुर्जर, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री शुभकरणसिंह चौधरी राजकीय अभिभाषक

आदेश दिनांक :— 28.02.2017

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पुष्कर द्वारा तहसीलदार पुष्कर के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट इस आश्य की प्रस्तुत की गई कि ग्राम पुष्कर की आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 0.35 है0 किस्म बारानी पर खातेदार द्वारा 10 गुणा 12 फीट के एक पक्के कमरे का निर्माण किया जा रहा है, जो अकृषि कार्य है। अतः निर्माणकर्ता को जरिये स्थगन आदेश पावन्द फरमाया जावें कि वे निर्माण कार्य नहीं करें। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पुष्कर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 90 ए के तहत प्रकरण दर्ज कर स्थगन आदेश जारी करते हुए नोटिस जारी किया। जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब इस आश्य का प्रस्तुत किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(19) के तहत खातेदार काश्तकार 1/50 हिस्से तक का निर्माण बिना स्वीकति करवा सकता है। खातेदार द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य उक्त हिस्से से काफी कम है। अतः प्रकरण ड्रोप फरमाया जावें। अपीलान्ट के पडौसी खातेदारों में से किसी भी खातेदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी तहसीलदार पुष्कर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29.9.2016 में अवैधानिक रूप से यह अंकित किया कि " अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्माण कार्य अपने पडौसी खातेदारों के निवास स्थल को किसी प्रकार की बिना क्षति पहुंचाते हुए कर सकता। साथ ही अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि जो निर्माण कार्य करवाना चाहता है वह मात्र कृषि कार्य हेतु ही किया जा सकता है। " तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किये बिना विधिक प्रावधानों के विरूद्ध जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया हैं। अतः तहसीलदार पुष्कर द्वारा पारित निर्णय को " अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्माण कार्य अपने पडौसी खातेदारों के निवास स्थल को किसी प्रकार की बिना क्षति पहुंचाते हुए कर सकता। साथ ही अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि जो निर्माण कार्य करवाना चाहता है वह मात्र कृषि कार्य हेतु ही किया जा सकता है। " की हद तक निरस्त किये जाने के अनुतोष हेतु अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

28/2/17

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पों की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। तत्पश्चात् पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

सर्वप्रथम राजकीय अभिभाषक ने अपीलान्ट की अपील मियाद बाहर होना बताते हुये मियाद बिन्दु पर ही अपील खारिज योग्य बताई। जवाब में अपीलान्ट अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम के तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी। दिनांक 19.10.2016 को वह अपने अधिवक्ता से तारीख पेशी की मालूमात करने पर पारित आदेश की जानकारी हुई। अधिवक्ता द्वारा जारी पत्र उन्हें नहीं मिला। प्रार्थी द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया। अपीलान्ट को दिनांक 17.11.2016 को नकल प्राप्त होने पर गॉव जाकर फीस आदि की व्यवस्था कर अपील तैयार करवाकर जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई है। जानकारी के अभाव में हुये सद्भाविक विलम्ब को क्षमा किया जावे तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब को कन्डोन कर अपील गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। हमने इन कथनों पर मनन किया रेकार्ड देखा। न्यायहित में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का स्वीकार करते हुये सद्भाविक विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील गुणावगुण पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। अपील बहस सुनी गई।

अपीलान्ट अभिभाषक ने बहस दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि पटवारी हल्का पुष्कर द्वारा तहसीलदार पुष्कर के समक्ष अपीलार्थी के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि ग्राम पुष्कर की आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 0.35 है0 किस्म बारानी पर उनके द्वारा 10 गुणा 12 फीट के एक पक्के कमरे का निर्माण किया जा रहा है, जो अकृषि कार्य है। अतः निर्माणकर्ता को जरिये स्थगन आदेश पाबन्द फरमाया जावें कि वे निर्माण कार्य नहीं करें। उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार पुष्कर द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 90 ए के तहत प्रकरण दर्ज कर स्थगन आदेश जारी करते हुए नोटिस जारी किया जिसका अपीलान्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 5(19) के तहत खातेदार काश्तकार 1/50 हिस्से तक का निर्माण बिना स्वीकति करवा सकता है। खातेदार द्वारा किया जा रहा निर्माण कार्य उक्त हिस्से से काफी कम है। अतः प्रकरण ड्रोप फरमाया जावें। अपीलान्ट के पडौसी खातेदारों में से किसी भी खातेदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं किये जाने के बावजूद भी तहसीलदार पुष्कर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 29..9.2016 में अवैधानिक रूप से यह अंकित किया कि " अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्माण कार्य अपने पडौसी खातेदारों के निवास स्थल को किसी प्रकार की बिना क्षति पहुंचाते हुए कर सकता। साथ ही अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि जो निर्माण कार्य करवाना चाहता है वह मात्र कृषि कार्य हेतु ही किया जा सकता है। " तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन किये बिना विधिक प्रावधानों के विरूद्ध जाकर आक्षेपित निर्णय पारित किया हैं। अतः अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार पुष्कर द्वारा पारित निर्णय को " अप्रार्थी द्वारा उक्त निर्माण कार्य अपने पडौसी खातेदारों के निवास स्थल को किसी प्रकार की बिना क्षति पहुंचाते हुए कर सकता। साथ ही अप्रार्थी को पाबंद किया जाता है कि जो निर्माण कार्य करवाना चाहता है वह मात्र कृषि कार्य हेतु ही किया जा सकता है।" की हद तक निरस्त किया जावें।

जवाब में राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के पूर्व अनुमति के कृषि भूमि पर निर्माण कर अकृषि

न्यायालय जिला कलेक्टर अजमेर

18/07/17
जिला कलेक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

प्रयोजनार्थ उपयोग किया है, जो नियम विरूद्ध हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जावें।

हमने बहस पर मनन किया रिकार्ड पत्रावली का अवालोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा ग्राम पुष्कर की खातेदारी आराजी खसरा नम्बर 306 रकबा 0.35 है0 किस्म बारानी में से मात्र 120 वर्ग फुट क्षैत्र में ही पक्का निर्माण (कमरा) किया जा रहा है, जो न्यायोचित है। अतः अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार के आदेश दिनांक 29.9.2016 में अंकित पंक्ति "जो निर्माण कार्य करवाना चाहता है वह मात्र कृषि कार्य हेतु ही किया जा सकता है। " को विलोपित करते हुए अपीलार्थी को पाबंद किया जाता है कि वे राजस्व नियमों में अनुज्ञेय सीमा तक ही अनुज्ञेय उपयोग हेतु ही निर्माण करेंगें तथा नियमानुसार रूपान्तरण/स्वीकृति की आवश्यकता होने पर सक्षम अनुज्ञा/स्वीकृति प्राप्त कर ही निर्माण करेंगें तथा तहसीलदार पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि वे मौके पर राजस्व नियमों की पालना सुनिश्चित करें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 28.02.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

28/02/17

(गौरव गोयल)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner